प्रारुप–3

भाग–2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अंतर्गत नौलापुर-खेतू-केदारगली-कोलागाड-घोड़िआणा-बीरोंखाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु ।

(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र - उत्तराखण्ड।

(ii) जिला – पौड़ी गढ़वाल ।

(iii) जिला वन प्रभाग - गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी ।

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 2.430 है०

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः राजस्व वन भूमि = 0.945 है०, वन पंचायत भूमि = 1.485 है०

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः

(i) वन का प्रकार राजस्व / पंचायती ।

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 0.5

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना प्रारूप-11 के अनुसार चीड़, बांज, कुराश एवं खड़ीक के विभिन्न व्यास वर्ग के कुल = 210 वृक्ष प्रभावित होंगे ।

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा → मोटर मार्ग निर्माण हेतु।

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण - भू-वैज्ञानिक की प्रारूप-33 में संलग्न रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित संरेखन

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी 1/2 km.

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : वर्तमान परिस्थितियों में दिये गये सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिए अनुकूल है तथा प्रस्तावित भूमि भू-गर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :– कुछ वन्य जीव विद्यमान है।

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं।

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं।

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं।

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे नहीं।

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) नहीं।

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। हाँ।

(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। —

24. **किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे** :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां / नहीं) नहीं

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही —

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं) नहीं

25. **क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :**

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। ग्राम-रन्डोल्या एवं वेवासा मल्ला की सिविल भूमि,

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या, क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। ग्राम-वेवासा मल्ला के हाल खसरा नं० 1877, 2015, 2111 कुल 2.260 है० तथा ग्राम-रन्डोल्या के हाल खसरा नं० 204, 206 कुल 2.600 है० ~~[illegible]~~ कुल महायोग = 4.860 है०

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। हाँ।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। हाँ.

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : रु. 10,17,519.00

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/~~नहीं~~)। हाँ

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। हाँ (पाश्र्व-7)

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें जनहित में संस्तुति की जाती है।

स्थानः पौड़ी (गढ़वाल)

तारीखः 22-12-2015

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पौड़ा वन प्रभाग
पौड़ी